न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01/2024
प्रविष्टि दिनांक 06.11.2024

सरकार जरिए तहसीलदार देवली जिला टोंक

—रेफरेन्सकर्ता

बनाम

बजरंग लाल मीणा पुत्र देवीलाल मीणा निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला—टोंक

—नॉन रेफरेन्सकर्ता

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—

1. पेरोकार सरकार
2. श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक नॉन—रेफरेन्सकर्ता

निर्णय दिनांक 24/4/25

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 13.03.2024 द्वारा रिमाण्ड किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की गई। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार देवली द्वारा प्रश्नगत रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर कथन किया गया कि ग्राम गोपीपुरा के रजिस्टर चकबन्दी सन् 1944 में आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 94 बीघा 1 बिस्वा किस्म गै० मु० तालाब मकबूजा सरकार महकमें इन्जनेरी दर्ज रिकार्ड था। उक्त आराजी खसरा नं0 1 में से जरिये नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 8.6.1969 को 20 बीघा भूमि की किस्म परिवर्तन कर सिंचायचक दर्ज किया गया। उक्त भूमि में से 10 बीघा भूमि बजरंगलाल पुत्र देवीलाल मीणा नि० बासलक्ष्मणा के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 39 से दर्ज कर दी गयी। नामान्तरकरण पर तहसील के आदेश नं0 3485 दिनाक 13.11.1968 की पालना में नामान्तरकरण दर्ज करने का अकन है। लेकिन नामान्तरकरण पर कोई ओदेश चस्पा नही है। नामान्तरकरण पर निर्णय में श्री जिलाधीशजी द्वारा अपील में आवंटन किये जाने का तथ्य अंकित है। परन्तु किस मिसल की अपील है ? तथा अपील का क्या निर्णय है? इस बाबत कोई अंकन नहीं है। तथा न ही तहसील कार्यालय में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है। बिना किसी आवंटन/नियमन आदेश के नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। जो विधि विरूद्ध है। बिना किसी सक्षम आदेश के तत्कालीन पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 164 खातेदारी का भर दिया जिसे यद्यपि तत्कालीन तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकृत किया गया है। परन्तु खातेदारी दिये जाने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। बिना विधिवत् आदेश के सीधे नामान्तरकरण दर्ज कर अवैधानिक कार्यवाही की गयी है। भू प्रबन्ध के दौरान बजरंगलाल पुत्र देवीलाल मीणा नि० बासलक्ष्मणा के नाम दर्ज भूमि खसरा न० 1 मि. रकबा 10 बीघा के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल नये नम्बर खसरा नं0 61 रकबा 2.22 है0 बने है। जो वर्तमान में भी बजरंगलाल पुत्र देवीलाल मीणा नि० बासलक्ष्मणा के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम गोपीपुरा की साबिक आराजी खसरा न० 1 की किस्म गै० मु०

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

तालाब थी। उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 में वर्णित भूमि होने से खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते थे। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में सन् 1947 में दर्ज गै० मु० तालाब की स्थिति को पुनः बहाल करने के लिये पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त आधारों पर नामान्तरकरण संख्या 39 व 164 को निरस्त कराने एवं खसरा नं0 61 को गै० मु० तालाब दर्ज करवाने हेतु रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में भिजवाने की कृपा करे।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.09.2006 के क्रम में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा एकपक्षीय निर्णय दिनांक 16.09.2013 पारित किया गया जिसके विरूद्ध बजरंग लाल पुत्र देवीलाल (नॉन–रेफरेन्सकर्ता) द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व आदेश 9 नियम 13 एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2013 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ने निर्णय 12.01.2023 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 16.09.2013 को निरस्त किया गया तथा प्रश्नगत रेफरेन्स/एलआर/565/2007/टोंक को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लेने का आदेश पारित किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने निर्णय दिनांक 13.03.2024 द्वारा प्रकरण को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि निर्णय में वर्णित विवेचन एवं न्यायिक दृष्टातों के आलोक में यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को पुनः जांच एवं परीक्षण हेतु लौटाया जाता है। उक्त वर्णित तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक मे प्रकरण जांच उपरान्त यदि रेफरेन्स योग्य पाया जाता है तो पुनः रेफरेन्स प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा सकती है।

प्रकरण में पेरोकार सरकार एवं नॉन–रेफरेन्सकर्ता के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा रेफरेन्स के कथनों को दोहराया गया तथा रेफरेन्स स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक गैर रेफरेन्सकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.03.2024 में स्पष्ट विवेचन कर निर्देश दिये गये है। उक्त विवेचना एवं निर्देशों के आलोक में रेफरेन्स खारिज योग्य है। प्रकरण में आवन्टी अनुसूचित जनजाति का पूर्व सैनिक है, जो आवंटन दिनांक 29.06.1965 से ही प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्त है। आवन्टी द्वारा बहुत श्रम एवं धन खर्च कर उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाया है। प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 13.03.2024 स्वतः स्पष्ट है। उक्त निर्णय के आलोक में रेफरेन्स प्रकरण खारिज योग्य है। अतः प्रकरण खारिज किया जावें। अभिभाषक गैर रेफरेन्सकर्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत Jagpal Singh and Others v/s State of panjab पेश किया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

हमने विद्वान उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रकरण से संबंधित पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया। संलग्न पत्रावली प्रकरण संख्या 113/1966 भूरसिंह बनाम बजरंग लाल में संलग्न आवंटन आदेश दिनांक 29.06.1965 में आवंटन प्राधिकारी तहसीलदार देवली द्वारा अंकित किया गया है कि "प्रार्थी ने जिस भूमि के अलॉटमेन्ट के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है वह तालाब की है लेकिन उसमें पानी नहीं भरता है और कृषि योग्य है पहले भी इसमें से भूमि अलॉट किया जाना पाया जाता है। प्रार्थी फौजी है, फौजी को 25 बीघा तक भूमि तहसीलदार द्वारा अलॉट करने का अधिकार है। अतः खसरा नं0 1 में से 10 बीघा भूमि श्री बजरंग लाल पुत्र देवीलाल मीणा को गैर मुस्तकिल तौर से अलॉट की जाती है"।

अपील संख्या 113/1966 भूरसिंह बनाम बजरंग लाल निर्णय दिनांक 05.10.1968 में माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक द्वारा कथन किया गया है कि "तहसीलदार देवली के आवंटन आदेश दिनांक 29.06.1965 द्वारा बजरंग लाल को ग्राम गोपीपुरा के खसरा नं0 1 में से 10 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। इस संबध में आज गोपीपुरा में मौका देखा गया विवादग्रस्त भूमि एक तालाब का हिस्सा है, लेकिन इस तालाब का क्षेत्रफल 94 बीघा 5 बिस्वा है। जिस जगह भूमि आवंटित की गई है वहां पर पानी कभी–कभी ही भरता है रेस्पोडेन्ट एक सैनिक भी है इन दोनों ही परिस्थितियों को देखते हुए आवंटन उचित ही प्रतीत होता है। अतः ग्राम गोपीपुरा के खसरा नं0 1 की 10 बीघा भूमि को गैर मुमकिन तालाब से सिवायचक घोषित किया जाता है और तहसीलदार ने जो आवंटन आदेश बजरंग लाल के पक्ष में 29.06.1965 को दिया गया है, उसकी पुष्टि की जाती है।"

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का आवंटन आदेश पूर्णतः विधि अनुसार है तथा प्रश्नगत भूमि की किस्म परिवर्तन सक्षम आदेश से की गई है। उक्त आदेशों की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 03.06.1969 पूर्णतः विधि अनुकूल है तथा उक्त भूमि के गैर खातीदारी से खातेदारी दिये जाने हेतु स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 164 दिनांक 17.10.1977 पूर्णतः नियमानुसार स्वीकृत किया गया है। अतः तहसीलदार देवली का कथन कि "बिना आवंटन आदेश के ही बजरंग लाल का नाम रिकॉर्ड में अंकित किया गया है" स्वीकार्य नहीं है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 13.03.2024 के बिन्दु संख्या 8 में निर्देश दिये गये है कि प्रश्नगत भूमि सिवायचक घोषित होने से तहसीलदार देवली द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में गैर–खातेदारी एवं खातेदारी दोनों नामान्तरकरण स्वीकार किये जा चुके थे। नामान्तरकरण संख्या 39 में यह स्पष्ट अंकन है कि सक्षम आदेश से ही गैर–मुमकिन तालाब की भूमि को सिवायचक करने के आदेश दिये गये है, इसलिए अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन तालाब की भूमि का ना होकर सिवायचक भूमि का है जिसकी पुष्टि जिला कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.10.1968 में की है। इसलिए जिला कलेक्टर अपने पूर्व आदेश से बाधित थे लेकिन फिर उनके द्वारा तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पर रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्वयं तहसीलदार द्वारा यह उल्लेखित किया गया है कि प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 1 में से जरिये नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 08.06.1969 को 20 बीघा भूमि की किस्म परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज कर दिया गया और दूसरी तरफ यह भी अंकित कर रहे है कि तालाब की भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है, साथ ही स्वयं तहसीलदार देवली द्वारा आवंटन आदेश की पुष्टि में गैर खातेदारी एवं खातेदारी के नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये है मुताकिब रिपोर्ट हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी को सिवायचक भूमि का आवंटन किया गया है जिसके आधार पर उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। उपरोक्त समस्त कथन

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

एवं स्थितियां परस्पर विरोधाभाषी है। इसी प्रकार न्यायालय जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.10.1968 में प्रश्नगत आवंटन को वैध मानकर पुष्टि किया जाना तथा इसी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा रेफरेन्स किया जाना, उक्त दोनों निर्णय परस्पर विरोधाभास उत्पन्न करते है।

माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 13.03.2024 में न्यायिक दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय में निर्णित रिट पिटीशन संख्या 1132/2011 उनवानी जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब सरकार व अन्य निर्णय दिनांक 28.01.2011 के पैरा नं0 22 की विवेचना की गई है। विवेचना अनुसार उक्त निर्णय के पैरा 22 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:–

" 22. Before parting with this case we give directions to all the State governments in the country that they should prepare schemes for eviction of illegal/unauthorized occupants of gram sabha/ Gram panchayat/Poramboke/Shamlat land and these must be restored to the Gram Sabha /Gram Panchayt for the common use of villagers of the village. For this purpose the Chief Secretaries of all the state governments/Union territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the Goverments. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupant, after giving him a show cause notice and a brief hearing. Long duration of such illegal occupation or huge expenditure in making constructions there on or political connections must not be treated as a justification for condoning this illegal act for regularizing the illegal possession. Regularization should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government notification to land less labourers or members of scheduled cast/Scheduled tribes, or where there is already a school. dispensary or other public utility on the land"

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा हस्तगत प्रकरण का उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में परीक्षण करने के निर्देश दिये गये है। सिविल अपील संख्या 11312/2011 उनवानी जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब सरकार व अन्य में अपील की विषय वस्तु प्रश्नगत भूमि ग्राम रोहड जागीर तहसील व जिला पटियाला(पंजाब) स्थित रिकॉर्ड में **"तालाब अंकित भूमि"** थी। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा तालाब भूमि सहित अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के सार्वजनिक उपयोग, प्रबन्धन एवं अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में निर्णय के बिन्दु संख्या 22 में उक्तानुसार निर्देश प्रदान किये गये है।

बिन्दु संख्या 22 के अन्तिम पैरा में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:–

" **Regularization should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government notification to**

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

landless labourers or members of scheduled cast/Scheduled tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land"

प्रश्नगत प्रकरण में आवंटी बजरंगलाल मीणा अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) का सदस्य है साथ ही आवंटी पूर्व सैनिक भी है प्रश्नगत भूमि आवंटी को विधिक प्रकिया से आवंटित होकर खातेदारीशुदा भूमि है साथ ही रेफरेन्स में वर्णित न्यायिक दृष्टांत जनहित रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का है जबकि विवेचनाधीन निर्णय सिविल अपील संख्या 1132/2011 उनवान जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब सरकार व अन्य माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ का है, इस प्रकार न्यायिक दृष्टान्त जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब सरकार व अन्य के उक्त निर्देश इस प्रकरण में पूर्णतः लागू होते है।

इसी प्रकार पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.09.2006 के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 16.09.2013 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.01.2023 से निरस्त कर दिया गया है। चूंकि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 16.09.2013 वर्तमान में खारिज किया जा चुका हैं। अतः निर्णय दिनांक 16.09.2013 की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन किया गया है तो वह निरस्तनीय होकर पूर्व स्थिति बहाल होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 13.03.2024 में प्रदत्त निर्देशों/ विवेचना के आधार पर आवंटी बजरंग लाल को किया गया भूमि आवंटन नियमानुकूल होने, 1965 में किये गये आवंटन को एक लम्बा अर्सा हो जाने, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 16.09.2013 को स्वयं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा ही अपने निर्णय दिनांक 12.01.2023 द्वारा निरस्त किये जाने एवं [redacted] दृष्टान्त सिविल अपील 1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब सरकार व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देश प्रश्नगत प्रकरण में पूर्णतः लागू होने से हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24/4/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सोंकरिया)
अति. जिला कलेक्टर, टोंक